(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के फरवरी, 1993 के दौरान विशाखापत्तनम, हैदराबाद, मद्रास और मदुरै के अपने दौरे सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप I के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अक्तूबर, 1992 के दौरान त्रिवेन्द्रम और बंगलौर के अपने दौरे सम्बन्धी अध्ययन ग्रुप II के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

12.08 म० प०

गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में गृह मंत्रालय संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को बाद में लेंगे।

अब, रक्षा बजट का उत्तर दिया जाएगा। प्रधान मन्त्री जी।

12.08½ म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1993-94— जारी

रक्षा मन्त्रालय—जारी

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि बहस के दौरान दिए गए सुझावों और उठाए गए प्रश्नों से भी सरकार लाभान्वित हुई है।

महोदय, मैं सर्वप्रथम देश में विद्यमान वातावरण तथा हमारे क्षेत्र और पड़ोस में जो सुरक्षा वातावरण है, उसके बारे में संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि क्योंकि इसका हमारी अपनी सुरक्षा

वातावरण पर पड़ता है और इसलिए देश की रक्षा के किसी भी बहस में इन तीनों क्षेत्रों की सुरक्षा का बहुत अधिक महत्व हो गया है।

महोदय, यह कहा गया है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और सार्वभौमिक मामलों के संबंध में सहयोग, वार्ता तथा आम सहमति आदि की ओर अधिक झुकाव हुआ है। जिस 'स्टार्ट-दो संधि' का हम स्वागत करते हैं, उसकी वजह से लोगों के विचार में काफी परिवर्तन हुआ है और सम्भवत: यह सच्चाई भी प्रकट हुई है कि जहां राजनैतिक इच्छा होती है वहां विश्व-शांति का मार्ग अपनाने और टकराव का मार्ग छोड़ देने की सम्भावना होती है। रासायनिक हथियारों सम्बन्धी संधि सम्भवत: एक ऐसी आदर्श संधि है जिसका सभी क्षेत्रों में अनुकरण किया जाना चाहिए क्योंकि यह सचमुच सर्वव्यापी और बहुपक्षीय रूप से तय किया गया समझौता है तथा इससे वास्तव में इस बात की पुष्टि होती है कि भारत निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित सभी मामलों का, जिसमें परमाणु निरस्त्रीकरण भी शामिल है, पक्षधार है। हम समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि रासायनिक हथियार संधि को एक आदर्श संधि तथा समान प्रकृति के अन्य सभी संधियों की पुष्टि करने वाले प्रतिमान के रूप में लिया जा सकता है।

फिर से एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सैंतालीसवें सत्र में शस्त्रों के मामले में पारदर्शिता के बारे में एक संकल्प पारित किया था जिसके परिणामस्वरूप विश्वस्तर पर एक रजिस्टर रखे जाने की शुरूआत हुई है। प्राय: सभी देशों ने इसका समर्थन किया है, जिसमें भारत भी शामिल है और हम आशा करते हैं कि इससे वस्तुत: शस्त्रों के मामले में पारदर्शिता रखी जा सकेगी और नि:शस्त्रीकरण के साथ-साथ परम्परागत शस्त्रों में कटौती करना आसान हो सकेगा तथापि इसके वास्तविक परिणाम सामने आने में अभी कई वर्ष लगेंगे। परन्तु अपने आप में यह अच्छी स्थिति है।

इतना कहने के बाद अपनी बात पर रोक लगानी होगी क्योंकि विश्व स्तर पर यह सब स्वागत करने योग्य बातें हैं। परन्तु अन्य स्तरों पर क्या हुआ है? शीत युद्ध के दौरान आपस में जो निवारक स्थितियां पैदा हो गई थीं उनसे विश्व व्यापी स्तर पर एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया था और यह भय व्याप्त हो गया था कि किसी भी समय परमाणु युद्ध छिड़ जाने पर सम्पूर्ण संसार खंड-खंड हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा भले ही कोई देश शस्त्रों की होड़ में भाग लेना चाहता हो अथवा नहीं। यह विध्वंस का, सर्वनाश का आतंक था जो हर एक देश के ऊपर मंडरा रहा था। परन्तु वास्तव में उस समय छोटे-छोटे देशों के ऊपर इस बात का केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने के अलावा और कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वास्तव में भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, छोटे-छोटे देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय संघर्ष और अधिक खुलकर सामने आ गये हैं। क्षेत्रीय संघर्ष पहले भी थे। बड़ी शक्तियां इन संघर्षों को प्रोत्साहित कर रही थीं। परन्तु ये क्षेत्रीय संघर्ष निचले स्तर पर थे। अब ये संघर्ष उच्च स्तर पर हैं क्योंकि यह जीवंत समस्यायें हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं, इसलिए यद्यपि यह सन्तोष तो होता है कि विश्व स्तर पर शांत वातावरण बना हुआ है और अन्य स्तरों पर वास्तविक तनाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए अपनी रक्षा की तैयारी करना और अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हो गया है। अत: हमें स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हमारी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई है बल्कि और अधिक बढ़ गई हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि हमें हमेशा सतर्क और

प्रयासरत रहना चाहिए। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार इस बारे में हमेशा सजग रही है और रहेगी।

अब क्या हुआ है? अब एक महाशक्ति नहीं रही है। उसका विघटन हो गया है और इसके साथ-साथ एक अनुशासित सैन्य व्यवस्था का विखंडन हो गया है। इन प्रत्येक देश में क्या हो रहा है और परिवर्तन की अवधि के दौरान क्या हुआ, इसका मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए जब लोग स्थानीय स्तर पर अथवा क्षेत्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण अथवा अन्य निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, तो मैं यह अनुभव करता हूं कि जब तक इसे विश्वव्यापी नहीं बनाया जाता तब तक ऐसा करना सम्भव नहीं है और भारत का यह विचार है कि आज निशस्त्रीकरण विश्व स्तर पर ही हो सकता है। वास्तव में, यह स्थिति आज पहले से अधिक स्पष्ट है। कम से कम उस समय एक प्रकार का अनुशासन था। अब कोई अनुशासन नहीं है।

सभा को याद होगा कि जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका अलग-अलग मुद्दों पर एक दूसरे के विरुद्ध बातें करते थे, तब वे शस्त्र अप्रसार संधि के बारे में एक ही स्वर में बातें करते थे। ऐसा क्यों होता था? इसलिए क्योंकि दोनों यही चाहते थे कि उनके अलावा और कोई देश परमाणु शस्त्रों जैसे व्यापक नरसंहार वाले शस्त्र अपने पास न रखें। परन्तु अब क्या हुआ? हम नहीं जानते हैं। ये शस्त्र किनके पास हैं। और कितने देश इन शस्त्रों को अपनाने वाले हैं। जहां तक भारत का संबंध है, इसकी स्पष्ट नीति है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। क्षमता होते हुए भी हमने इस प्रकार के शस्त्रों के निर्माण का कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि नीति पूर्णतः स्पष्ट है और यही नीति रहेगी।

अब प्रश्न यह है कि इस असमंजस के वातावरण में हमें क्या करना है? इसका यही अर्थ है कि हमें राजनयिक क्षेत्र में तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में दोनों के मामले में अत्यन्त सतर्कतापूर्वक कार्य करना चाहिए और पहले से अधिक सतर्क रहना चाहिए। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने संसार के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जो हमारे विकास में और रक्षा में हमारी सहायता कर सकते हैं, सम्बन्धों में सुधार किया है। हमारे संसाधनों का विभिन्न कार्यों में उपयोग हो रहा है। आज अमरीका के साथ रक्षा सम्बन्ध बनाया गया है जोकि आशाजनक है। मैं नहीं कहता कि हम हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। परन्तु बात यह है कि भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है और हमारी रक्षा नीति अत्यन्त स्पष्ट है। कल श्री जसवंत सिंह ने मुझसे कहा था कि हमारी कोई नीति नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारी नीति अत्यन्त स्पष्ट रही है :

> "स्वतंत्रता मिलने के बाद से हमारी रक्षानीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी सैन्य क्षमता का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि हमारी थल, जल और नभ पर राष्ट्रीय भू-क्षेत्र की रक्षा हो सके तथा साथ ही हमारी भू-सीमाओं, द्वीप क्षेत्रों, अपतटीय सम्पत्तियों और अपने समुद्री व्यापार मार्गों का अतिक्रमण न हो।"

मैं समझता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से यही स्पष्ट नीति रही है। अन्य शब्दों में कहें तो हमारे पास अन्य देशों पर अधिकार करने की योजना नहीं है। किसी प्रकार की आक्रामक योजना को पूरा करने के लिए हम रक्षा सामग्री तैयार नहीं कर रहे हैं। हम अपना रक्षा उत्पादन केवल बदलती

हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं को निश्चय ही पूरा करेंगे। यह आवश्यकताएं बदल रही हैं। आवश्यकताएं बदल रही हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सारे संसार में युद्ध एवं शांति के बारे में कैसा वातावरण है। इसका हमारे रक्षा साधनों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। परन्तु एक ऐसा निम्न स्तर है जिससे कम हम रक्षा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस मामले में हमारी रक्षा तैयारी एक निश्चितपूर्व निर्धारित स्तर पर अवश्य बनी रहे, भले ही कोई भी स्तर हो। इसका आश्वासन दिया गया है। कल जो संदेह व्यक्त किए गए थे वो भी प्रभावित हुए हैं।

मैं माननीय सदस्यों का भ्रम दूर करना चाहता हूं और उनसे, सदन और राष्ट्र से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि रक्षा तैयारियां बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई हैं और न ही कभी प्रभावित होंगी। इनके स्तर में कुछ अन्तर हो सकते हैं। मैं रक्षा मन्त्री के रूप में यह कह सकता हूं कि आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 1985 में थी, क्योंकि इस समय संसाधनों की अत्यधिक कमी है। 1985 में या उसके बाद कुछ वर्षों तक संसाधनों की कमी तत्कालीन रक्षा मन्त्री को महसूस नहीं हुई थी। ये अन्तर हमेशा बने रहेंगे फिर भी हमारी रक्षा नीति के अनुसरण में रक्षा तैयारियों में कमी नहीं आने दी जायेगी।

महोदय, मैं अब कुछ बैंचारिक मुद्दों पर आता हूं जो कि विदेश नीति के सम्बन्ध में हैं, जिन्हें कल उठाया गया था। मैं इन मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं एक बात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के शिथिल पड़ जाने देने के बारे में थी। राष्ट्र की सामरिक नीति और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने उनकी विश्वसनीयता और उनके लचीलेपन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जैसी औपचारिक संस्थागत प्रणाली के गठन का सफल होना आवश्यक नहीं है। इस मामले पर आगे-पीछे वर्षों चर्चा हो चुकी है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कतिपय उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अच्छा विचार हो सकता है सभी उद्देश्यों के लिए नहीं। अतः मैंने इस मामले को पुनर्विचार के लिए लिया है और इस पर पुनर्विचार हो रहा है और इस पर जो निर्णय होगा हम यथाशीघ्र उसकी सूचना संसद को देंगे। कुछ दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जरूरत महसूस की जा रही है और मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इसका गठन किया जाना चाहिए और इसको एक फिर पुनर्जीवित करना होगा। यदि इसको समाप्त होने दिया गया तो कुछ समय बाद मेरे पास सदन को बताने के लिए बहुत कुछ होगा।

महोदय, इस सम्बन्ध में बहुत आशंका और उत्सुकता है और जो संभवतः सही उत्सुकता है क्योंकि भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ रक्षा पूर्ति; विनिर्माण इत्यादि के सम्बन्ध में हमारे बहुत पुराने संबंध थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद उन देशों, जिनके भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ ऐसे ही संबंध थे, के साथ-साथ हमारी स्थिति बहुत अनिश्चित और असन्तोषजनक हो गई है। मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार पिछले कुछ समय से इस अनिश्चितता को बहुत अधिक महसूस कर रही है। मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति श्री येलत्सिन की यात्रा के बाद स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है और आपूर्तियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में संक्षेप में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपूर्ति के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है।

सोवियत संघ के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया था कि भूतपूर्व सोवियत संघ से अतिरिक्त कलपुर्जों की निरन्तर और निर्बाध आपूर्ति संकट में पड़ गई है। इसलिए जुलाई, 1991 में निम्नलिखित क्षेत्रों के सन्दर्भ में सात कार्यदलों का गठन किया गया था। ये हैं—आरगामेंट स्टोर्स फार आर्मी, व्हीकल्स एण्ड इन्जीनियरिंग स्टोर्स फार आर्मी, नेवल रिक्वायरमेंट्स, एअर डिफेंस इनवारोमेंट एंड आरगामेंट फार एअरफोर्स, नेवी एड आर्मी, एअरक्राफ्ट एंड एअरबार्न स्टोर्स फार एअरफोर्स एड नेवी, पी०ओ०एल० एड प्लाइंग क्लोथिंग।

कार्यदलों ने इस सम्बन्ध सेनाओं और उत्पादन करने वाली एजेंसियों से व्यापक परामर्श कर लिया है और अतिरिक्त कलपुर्जों 19,185 ऐसी मदों का पता लगाया है जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। इन कार्यदलों ने यह पता लगाया है कि अन्य 9275 मदों का उत्पादन अपने ही देश में कर पाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत कम थी या इनके डिजाइन और अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस पहचान के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों की 5132 मदों का विनिर्माण करने का आर्डर दिए गए है।

एक ओर जहां हम इस सम्बन्ध में उत्सुक हैं दूसरी ओर हम चुप भी नहीं बैठे हुए हैं। स्वदेशीकरण के माध्यम से हमने इस सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास किया है। यदि यह सम्भव नहीं है कि क्या हम अवश्यक सामग्री का उनकी उपलब्धि के स्थानों से तब तक के लिए भण्डार बना सकते हैं जब तक कि हमारे पास इनके हार्डवेयर हैं। यह काम कर लिया गया है और कार्यदलों को इसमें सफलता मिली है।

इसी बीच रूस और यूक्रेन से अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और सेनाओं को इनका आयात करने की सलाह दी गई है और उन अतिरिक्त कलपुर्जों का भंडार बनाने की भी सलाह दी गई है जिनका स्वदेशीकरण कर पाना सम्भव नहीं है। राष्ट्रपति श्री येलत्सिन की यात्रा के दौरान इस बात के आश्वासन मिले थे कि पहले किए गए सभी समझौतों के सम्बन्ध आपूर्तियां की जाएंगी। ऐसी पूर्तियां शुरू हो गई हैं और आने वाले महीनों में इसमें तेजी आने की सम्भावना है। उत्पादन करने वाली एजेंसियों और यूक्रेन से बन्दरगाहों तक माल की ढुलाई के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर लिया गया है। अतः आज हमारी स्थिति 1991 की स्थिति के मुकाबले कई बेहतर है। अतः मैं समझता हूं कि समय बीतने के साथ-साथ इसमें आगे और सुधार होगा। केवल इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी अन्य क्षेत्रों में भी सोवियत संघ के लिए हमारा निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया था। हम सोवियत संघ को तम्बाकू, काजू सहित बहुत सी वस्तुओं का निर्यात करते थे। रूस इस व्यापार को फिर से शुरू करना चाहता है। हम वास्तव में अपने पुराने सम्बन्धों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम इसमें कामयाब होंगे। इसमें कुछ समय लगेगा, केवल रातों-रात पूर्तियों और व्यापारिक के स्तर तक जा पाना सम्भव नहीं है। अब यह बात कह पाना सम्भव है कि कठिन समय बीत चुका है और हम सही दिशा में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

अरुण सिंह समिति के रिपोर्ट के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए गए थे और यह कहा गया था कि इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट छह खण्डों में है। सिफारिश रिपोर्ट के प्रत्येक खंड के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:—खंड एक में यह सिफारिश की गई है कि रक्षा सम्बन्धी आठवीं योजना का आकार क्या होना चाहिए। खंड दो रक्षा नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के प्रस्तावित संगठन और ढांचे के बारे में एक

रिपोर्ट है। खंड 3 में योजना, प्रबंधन और वित्तीय नियन्त्रण के संबंध में एक रिपोर्ट है। खंड चार शस्त्र सेनाओं के लिए अधिग्रहण और खरीद के सम्बन्ध में है। खंड पांच इक्वीपमेंट लाजिस्टिक्स एंड सपोर्ट पर एक रिपोर्ट है। खंड छह श्रम शक्ति के सम्बन्ध में है। सरकार ने खंड एक के सम्बन्ध में कुछ निर्णय भी लिया है। तथापि, उसके बाद उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया और इस पर पुनर्विचार हो रहा है। खंड 4, 5 और 6 की कुछ सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इनके कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य रूप से खंड 2 और 3 में सरकार के कार्यकरण के रूप में प्रस्तावित मुख्य ढांचागत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है और इनकी पुनरीक्षा की जा रही है। यह कहना ठीक नहीं है कि पूरी रिपोर्ट को ताक पर रख दिया गया है। ऐसी स्थिति है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात केन्द्रीय सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय के बारे में उठाई गई थी। ऐसा कहा गया था कि पिछले पांच वर्षों से इसमें कमी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों के अनुसार कुल व्यय में रक्षा व्यय के भाग का प्रतिशत इस प्रकार रहा है :—

1989-90 में 15.5, यह सर्वाधिक था, उसके 1990-91 में 14.65, 1991-92 में 14.67, 1992-93 में (संशोधित) 14.03, 1993-94 (बजट प्राक्कलन) 14.61

इसका अर्थ यह है कि 1989-90 के अपवाद के अलावा केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में रक्षा व्यय के भाग का प्रतिशत कमोवेश स्थिर रहा है। साथ ही 1992-93 की तुलना में प्रतिशत भाग में मामूली वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इतना ही कहा जा सकता है। महोदय, मैं यह तो नहीं कहता कि यह स्थिति बहुत सन्तोषजनक है परन्तु परिस्थितियों के तहत यह स्थिति सर्वोत्तम है। संसाधन की कमी और अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति ठीक है।

महोदय, अब पूंजीगत उपकरण की संख्या में वर्षों से कमी आ रही है जबकि बजट व्यय बढ़ रहा है। इसमें वृद्धि की गई थी और हम से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका साधारण सा उत्तर यह है कि इसका कारण मुख्यत: पश्चिमी स्रोतों के साथ-साथ भूतपूर्व सोवियत संघ से अधिग्रहण है जिसमें आस्थगित भुगतान शामिल है और जिसके कारण बहुत थोड़े वर्षों तक उपकरणों का आयात सीमित हो गया था। हमें जो कुछ भी प्राप्त करना था वह हमने पहले पांच या तीन वर्षों में प्राप्त किया जबकि इसके सम्बन्ध में अदायगी लम्बे समय तक की जानी थी। विनिमय दर में अन्तर होने के कारण ये अदायगियां रुपए के सन्दर्भ में बढ़ गईं। समझौते के अनुसार यदि कुछ वर्षों के अन्तर्गत पूरी आवश्यकता की आपूर्ति कर दी जाती है तो पूंजीगत माल का देश में आगमन स्पष्ट रूप से वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होगा, साथ ही एक बार आयात किए गए हवाई जहाज, पानी के जहाज, उपकरण आदि बीस वर्ष या कुछ इतने ही समय तक उपयोग होते रहेंगे। ऐसी उम्मीद है कि अगले तीन से पांच वर्षों के अंतर्गत पश्चिमी स्रोतों से उपकरण अधिग्रहण के लिए ऋण अदायगी की देयताएं काफी हद तक पूरी कर ली जाएंगी। इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया था, यह उसका स्पष्टीकरण है।

नौसेना के बारे में भी यही बात उठाई गई है। कमोवेश स्थिति एक जैसी है। इसमें अधिक अंतर नहीं है। 1993-94 के रक्षा बजट में रेल दर में वृद्धि करने की कोई बात नहीं है। एक समान विनिमय दर के कारण सी०ओ०एच० और अतिरिक्त देयता में वृद्धि होने की सम्भावना है। रक्षा मन्त्रालय और

सेना मुख्यालयों ने परिवहन और पैट्रोलियम उत्पादों दोनों ही क्षेत्रों में मितव्ययता के उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप वृद्धियों और सम्भावित वृद्धियों के प्रभाव की क्षतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मंत्रालय के पास केवल यही एक स्पष्टीकरण है इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पास इस समय धन नहीं है, इसलिए इसको कम करना पड़ेगा। यह साधारण सी बात है, हम नुकसान की भरपाई करने का भरसक प्रयास करेंगे। एक बात यह भी है कि शतप्रतिशत भरपाई कर पाना सम्भव नहीं हो सकता है। कुछ भाग की भरपाई की जाएगी। इसीलिए मितव्ययिता के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं और सम्भवतः यही वह अवसर है जबकि हम मितव्ययिता सम्बन्धी अनुपालन तर्कसंगत कार्यों के लिए कर सकते हैं।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात अनुसन्धान और विकास निवेश के बारे में है और स्पष्टतः सदन के सभी लोग, हममें से हरेक चाहता है कि अनुसंधान और विकास निवेश में पर्याप्त वृद्धि हो ताकि आत्म-निर्भरता यथाशीघ्र प्राप्त की जा सके। महोदय, इस सम्बन्ध में जो आंकड़े मैं सदन को देना चाहता हूं वह यह है कि 1993-94 के बजट प्राक्कलन में आर० एंड डी० शेयर का प्रतिशत 4.1 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है अर्थात 1992-93 में 720.64 करोड़ रुपए की तुलना में इसको 1993-94 के दौरान 952.09 करोड़ रुपए कर दिया गया है और मेरे हिसाब से यह एक अच्छी खासी वृद्धि है।

महोदय, जहां तक मैं श्रम शक्ति नीति का एक प्रश्न भारत और अन्य उन देशों, जो अन्य प्रणालियों को अपना रहे हैं, के बीच एक अन्तर है। सेना के लिए एक सुविचारित श्रम शक्ति नीति है, जिसका निर्धारण बल के अपेक्षित स्तरों को बनाए रखने के लिए किया गया है। बल के स्तरों का निरूपण, आपेक्षिक स्थिति के खतरे, उपलब्ध चेतावनी समय और निर्धारित कार्यों के आधार पर किया जाता है। हमारे दुश्मनों के बल के स्तरों का हमारी श्रम शक्ति की आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चूंकि ये घटक परिवर्तनशील हैं, इसलिए इस मुद्दे पर एक स्थिर नीति तैयार करना विघ्नकारी नहीं है, हमारी सीमाओं पर आवश्यक तैनाती और प्रति विद्रोह इत्यादि के इस्तेमाल की अत्यधिक टुकड़ियों के विधान के कारण भी हमें बहुत बड़ी स्थाई सेना की आवश्यकता है।

अतः यह बात कि हमें रिजर्व सैनिकों इत्यादि के सम्बन्ध में कोई दूसरी विधि अपनानी चाहिए औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। इसको कार्यरूप देने में बहुत अधिक समय लगेगा, परन्तु हम फिलहाल मौजूदा प्रणाली को बदल नहीं सकते है। हमें इसको जारी रखना होगा और इसमें जो भी परिवर्तन सम्भव होंगे वे करने होंगे। महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि अनेक युद्धों का इतिहास समय पर प्रकाशित नहीं हुआ है। 1965 के युद्ध और पवन आपरेशन का विशेष उल्लेख किया गया है। यह बात सत्य है कि यदि वह उपलब्ध हैं तो वह बहुत उपयोगी होंगे, परन्तु यह भी एक तथ्य है कि भारत-पाक युद्ध 1965 और 1971 का इतिहास समिति परिचालन के लिए शस्त्र बलों के श्रेणी 'ए' के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पहले ही जारी कर दिया गया है। 1962 के चीन युद्ध का इतिहास इन संस्थानों में वितरित करने हेतु तैयार है। आपरेशन पवन, आपरेशन मेघदूत, आपरेशन कैक्टस इत्यादि के इतिहास लेखन कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

महोदय, अब मैं आधुनिकीकरण के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिसके सम्बन्ध में शिकायतें की गई हैं। यह कहना कुछ हद तक सही होगा कि आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि बजटीय कमियों के कारण ध्यान मुख्य रूप से गोला-बारूद के भंडार में कमी को पूरा करना, महत्वपूर्ण शस्त्र प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसका दर्जा बढ़ाने, रिफरनिशमेंट और प्रौद्योगिकीय सुधारों, सिमुलेटर्स को आरम्भ करना और सामरिक महत्व के चुनिंदा फोर्स मल्टीप्लायर्स सम्मिलित करने विशेष रूप से इलैक्ट्रानिक निगरानी और युद्ध के क्षेत्र में कमी को पूरा करने की ओर दिया गया है।

अत: सभी बचतों को इसकी ओर लाने और फालतू परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा अर्जित किए गए अतिरिक्त राजस्व को इसमें लगाने के लिए किए गए संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप ही सेना मुख्यालय द्वारा दर्शाई गई अधिकांश वरीयताओं को पूरा कर पाना सम्भव हुआ है। किसी भी विभाग में जो भी बचत की गई या किसी भी तरह से जो बचत की गई है उसे आधुनिकीकरण पर व्यय किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसे सापेक्ष मामला कहा जा सकता है क्योंकि मैं भी यह महसूस करता हूं कि आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है और सभा को आश्वासन देता हूं कि जब कभी भी सम्भव होगा हम अपेक्षित स्तर प्राप्त करेंगे और पर्याप्त निधि जुटाएंगे।

एक बहुत अच्छा सुझाव था कि पेंशन बिलों को राशि में कमी लाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को अर्द्ध सैन्य बल और सिविल कार्यों में लगाने हेतु एक योजना तैयार की जाये। महोदय, मुझे इसका कुछ अनुभव है। गृह मन्त्री और रक्षा मन्त्री के रूप में हमने इसकी कोशिश कर ली है। इसे कुछ हद तक किया जा सकता है परन्तु इसे केवल कुछ हद तक ही किया जा सकता है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि 17 वर्ष तक सेवा करने के बाद कोई सैनिक किसी दूसरी शस्त्र सेना में भर्ती होना पसन्द करेगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि वह केवल कुछ और व्यवसाय अपनाना चाहता है। यदि कोई अर्द्ध-सैन्य बलों में भर्ती होना चाहता है, तो वह उपलब्ध हो सकता है और हम यह सम्भव कर सकते हैं, हम इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि सेवानिवृत्त हो रहे सैनिक कर्मी की अर्द्ध सैन्य बल में सेवा करने और घर से दूर निरन्तर सेवा करते रहने की अनिच्छा अन्तरबाधा घटकों में से एक है। दूसरा कारण सेना की सेवाएं छोड़ने वाले लोगों का स्थान भरने के लिए रिक्त स्थानों की कमी है। यह भी एक कारण है लेकिन यह विचार बहुत अच्छा है क्योंकि उसने बहुत सा प्रशिक्षण लिया हुआ होता है और उसकी ऐसी धारणा होती है। यह विचार बहुत अच्छा है और हम देखेंगे कि फिलहाल जो कुछ किया जा रहा है उसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है।

मैं एक बार फिर सदन को रक्षा अनुसन्धान और विकास के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में जब श्री शरद पवार रक्षा मन्त्री थे उस समय उन्होंने इस बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के आदेश दिए थे और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक दस वर्षीय योजना तैयार करने के लिए कहा था।

इन बातों की पहले चरण में जांच की जानी चाहिए थी। सबसे पहले वर्तमान प्रणाली को पर्याप्त उत्पाद समर्थन देने पर ध्यान दिया जाना था। दूसरे या मध्यवर्ती चरण में स्वदेशी प्रणाली के स्तर और लक्ष्य में वृद्धि करना शामिल है और तीसरे चरण में देश में ही विकसित प्रणाली को यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करने की योजना बनानी होगी ताकि आयातित प्रणाली पर निर्भरता कम से

कम की जा सके। महोदय, इस समिति को अब तक सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अगले दशक की भावी योजना प्रस्तुत करने में लाभ हुआ है। शस्त्र प्रणालियों के लिए अतिरिक्त कल-पुर्जों का देशीकरण करने के लिए सात कार्य दल काम कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने अनुरोध किया था इनका गठन किया गया है। संसाधन जुटाने सम्बन्धी एक कार्यदल मितव्ययता के नवीनतम उपायों के माध्यम से रक्षा व्यय को कम करने के पहलुओं का अध्ययन कर रहा है और साथ ही वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में रक्षा परिसम्पत्तियों को पूर्ण उपयोग के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करने की संभावनाओं का भी अध्ययन कर रहा है। इस समिति को शीघ्र ही अन्य एजेंसियों से आदान प्राप्त होगा और उम्मीद है कि इस समिति की रिपोर्ट अब से लगभग दो माह के भीतर अर्थात जून, 1993 तक प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से यह एक अच्छा कदम है और हमें अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगी और हो सकता है हमें यह जून के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मालूम हो।

महोदय, अब मैं भर्ती के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा, कतिपय टिप्पणियां की गई हैं। यह कहना बहुत आसान है, संभवतः कुछ मामलों, यह बात बिलकुल गलत नहीं है कि कुछ तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन पद्धति इस तरह की है। पूरे देश में निर्धारित तिथि को परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र तब तक वैध रहते हैं जब तक कि उम्मीदवार की आयु अपेक्षित आयु को पार नहीं कर जाती है। उम्मीदवारों की छंटनी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा की जाती है। जिसमें उस स्थान पर तैनात यूनिटों के दो अधिकारी सदस्य होते हैं, एक सेकण्ड मेडीकल आफीसर द्वारा स्वतंत्र जांच प्रणाली भी स्थापित की गई है, चुने गए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट लोक सूचना के लिए लगाई जाती है, जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है लेकिन जो कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाये हैं उनके लिए अन्तिम काल के रूप में पंजीकृत पत्र भेजे जाते हैं ताकि वे शामिल हो सकें और केवल छंटनी किए गए कार्मिकों को ही भर्ती सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाता है और उनका कार्यकाल दो वर्ष तक सीमित कर दिया जाता है। यह पद्धति अपनाई जाती है।

यदि अब माननीय सदस्यों के पास कोई सुझाव या उससे आगे कोई और सुझाव, सुधार हों या इसको बदलने के लिए कोई सुधार हों या इसको और स्पष्ट बनाने के लिए कोई सुझाव हों, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई सुझाव हों तो मैं इस सम्बन्ध में किसी भी माननीय सदस्य द्वारा या देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करूंगा। ऐसा दावा करने का कोई प्रश्न नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक है क्योंकि मानव की प्रकृति ही ऐसी है। सुझावों को स्वीकार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, चाहे सुझाव कहीं से भी प्राप्त हों और वे किसी भी हद तक सहायक क्यों न हों। महोदय, यह एक खुला निमन्त्रण है, मैं सुझाव आमन्त्रित करता हूं।

महोदय, अब मैं इस पूरे मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो शायद सदस्यों को पूरी तरह से संतुष्ट न कर सके क्योंकि कम से कम आशा की एक झलक तो है कि भविष्य में हम कुछ अच्छा कर पाने में समर्थ होंगे। 1970 में "टीथ टू टेल रेशो' 62 से 8 था, 1980 में यह अनुपात 65 से 35 था और अब 1990 में यह अनुपात 70 से 30 है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसको सुधारने के लिए प्रयास किए गए हैं और कुछ सुधार हुआ है शायद कुछ ऐसी सीमा है, जिसके आगे कुछ सुधार नहीं किए जा सकते हैं वे वैसा ही रहेंगी हैं जैसीकि वे हैं। महोदय, इसके बाद हम जो भी संभव होगा उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। इस सम्बन्ध में श्रेष्ठ प्रयास और परिणाम

प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और यही मैं सभा से अनुरोध करता हूं।

महोदय, 'एल०सी०ए०' के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाए गए थे, यह बात आवश्यक क्यों है, आप सभी तरह की चीजें खरीद रहे हैं, सभी तरह के वायुयान खरीद रहे हैं, यदि एक ही पर्याप्त है, तो आप अन्य तरह की चीजों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। महोदय, अब यह भलीभांति ज्ञात कारक है कि एक ही वायुयान, एक ही एयरक्राफ्ट, चाहे उसकी बनावट कुछ भी हो, उसकी क्षमता कुछ भी हो, वह वास्तव में हवाई अड्डों पर सभी स्थितियों का सामना नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह प्रारम्भिक है। लोगों को मालूम होगा कि ऐसी बात है। अत: हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें विविधीकरण करना होगा।

'एल०सी०ए० मिग' हवाई जहाजों, जोकि हमारे बेड़े का 70 प्रतिशत भाग है, की शृंखला का स्थान लेगा। एल०सी०ए० को हवाई युद्ध लड़ना होगा, हवाई युद्ध में मदद करनी होगी और निषेधात्मक भूमिका निभानी होगी। महोदय, इस परियोजना को स्वीकार कर लिया गया है। इसे मंत्रीमडल की अनुमति केवल 20 अप्रैल को ही दी जा सकी है। अब यह एक सम्पूर्ण कार्य है। अब हम इसको प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसा विचार है और हमने यह निर्णय लिया है कि 1990-95 के दौरान हम इसका उत्पादन करने लगेंगे। फिलहाल सभी प्रौद्योगिकीय विकल्पों को बन्द कर दिया गया है। उप प्रणाली, निर्माण प्रगति पर है। परियोजना पर इस तरह से कार्य चल रहा है कि एल०सी०ए० की पहली उड़ान 1996 में हो सके और हमने इसका उत्पादन कार्य 1995 में आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस हवाई जहाज की प्रारम्भिक प्रचालन अनुमति 2002 ईसवी सन् में ली जाएगी। वायुसेना एल०सी०ए० के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है।

जगुआर के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा समझा गया था कि यह अन्दर तक घुसकर बम वर्षक जहाज है, उसके बाद मिराज 2000 आकाश से आकाश में और आकाश से जमीन पर मार करने वाला लड़ाकू जहाज है। मिग 29 एअर डिफेंस सिस्टम, मिग 21, 23, 27 जिनमें आकाश में आंतरिक विभेद है। आकाश से आकाश में और आकाश से जमीन पर 'क्लोज एअर सपोर्ट' सहित एल० सी०ए० अधिक भूमिकाओं वाला और उच्च कार्य निष्पादन क्षमता वाला हवाई जहाज प्रणाली है जो पुराना मिग शृंखला का स्थान लेगी। अत: मैं नहीं समझता हूं कि इन शृंखलाओं में कोई दोष है। मिग विमानों की शृंखला को हटाया जा रहा है। अत: जब तक उन्हें हटाया जाता है तब तक एल०सी०ए० बनकर तैयार हो जाएंगे। यह स्थिति है।

जब मिराज 2000 के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय इसमें उपयोग किए जाने वाले कुछ हथियारों का विकास किया जा रहा था। अत: विमान को आवश्यक हथियारों के बिना खरीदा गया था। जब कोई नया विमान खरीदा जाता है तो विमान चालक को उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद ही विमान के उपयोग की बात आती है। विमान के संचालनात्मक उपयोग करने तक सभी हथियार प्राप्त कर लिए गए थे। अत: कल जो आलोचना की गई थी कि इसे हथियार प्रणाली के बिना खरीदा गया था, उसकी पृष्ठभूमि में यही बात है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है।

अर्जुन एम०बी०टी० के बारे में···(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप जाते है, मेरा काम हल्का हो जाएगा।

[अनुवाद]

इसमें अनुसंधान और विकास आकलन के लिए कुल 19 प्रोटोटाइप थे, इसमें इतना अधिक श्रम और प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता का प्रयोग किया गया है कि देश को अर्जुन टैंक पर गर्व है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रौद्योगिकी और उत्पादन योजना के अन्तरण के लिए 23 उत्पादन पूर्व शृंखला के टैंकों की अनुमति दी गई। 1993 के शीतकालीन परीक्षणों के परिणाम काफी प्रभावकारी रहे हैं और यह निर्णय लिया गया है कि जून, 1993 में पुष्टिकृत प्रयोक्ता परीक्षणों के अन्तिम चरण के बाद थल सेना में कुछ रेजीमेंटों को शामिल करने की योजना बनाई जाए। सम्भवत: ग्रीष्मकालीन परीक्षण भी होंगे। उत्पादन पूर्व टैंकों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। बातचीत शुरू होने के बाद ही एक एम०बी०टी० को नियमित रूप से शामिल किया जाएगा और 1995-96 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। यही वर्तमान स्थिति है।

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के बारे में यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि हमें इतनी बड़ी सेना नहीं बनानी चाहिए और हमारे पास आरक्षित जवानों के साथ कम सेना होनी चाहिए। अनेक माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है।

अब स्थिति यह है कि भारतीय सैन्य बलों में स्वैच्छिक आधार पर पर्याप्त व्यक्ति शामिल होते हैं और उन सभी को प्रशिक्षण देना धन की दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

हम एन०सी०सी० में छात्रों की संख्या में भी वृद्धि नहीं कर पाये हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम यह प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ ही वृद्धि कर पाए क्योंकि लागत बहुत अधिक है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि भविष्य में हमारी स्थिति भी वही होगी जो अन्य देशों की है। लेकिन भारत की जनसंख्या और परिस्थितियां किसी भी नई प्रणाली को शीघ्रता से नहीं अपनाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एन०सी०सी० तथा अन्य संगठनों को संख्या की दृष्टि से और गुणतत्ता की दृष्टि से सुधारा जाना चाहिए तभी हम यह सोच पायेंगे कि क्या किया जाना है।

प्रादेशिक सेना के बारे में भी यह आरोप लगाया गया है कि यह कम हो रही है। हम इसकी जांच करेंगे।

छावनियों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। हम सभी उनके बारे में जानते हैं। वहां नाममात्र के कर लगाए जाते हैं, और यह सारा खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। मेरे विचार से इसे बदलना होगा और समय के साथ-साथ हम इस बात पर बल देंगे कि प्राधिकारियों द्वारा कुछ और कर लगाए जाएं।

यही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे।

अन्त में, मैं यही दोहराना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, देश में पूरी रक्षा

तैयारियां रहेंगीं और सरकार इस बात पर दृढ़ है। मैं राष्ट्र को आश्वासन देता हूं कि इसमें किसी किस्म की भी ढील नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : बोफोर्स तोप के बारे में बतायेंगे···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपको सामने खड़ा कर देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों के कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं बशर्ते कि कोई सदस्य यह न चाहे कि उसके कटौती प्रस्ताव अलग से रखे जाएं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगें सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 16 से 22 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष मे संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।